

प्रेषक,

इन्दुधर बौड़ाई,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

सचिव,
उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी,
हरिद्वार।

संस्कृत शिक्षा अनुभाग

देहरादून: दिनांक: 02 ^{जुलाई,} जून, 2019

विषय:- उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार परिसर में ऑडिटोरियम निर्माण कार्य हेतु धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-29/25/लेखा/उ0सं0अ0/2019-20 (H) दिनांक 08.05.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी परिसर में 507 क्षमता के ऑडिटोरियम निर्माण हेतु स्वीकृत लागत रू0 1084.24 लाख के सापेक्ष शासनादेश संख्या-19/XLII-1/2017-02(31)2012 दिनांक 04.01.2017, शासनादेश संख्या-896/XLII-1/2017-02(31)2012 दिनांक 25.10.2017 तथा शासनादेश संख्या-331/XLII-1/2018-02(31)2012 दिनांक 22.05.2018 द्वारा अवमुक्त कुल धनराशि रू0 200.00 लाख के उपयोग के उपरान्त योजना की अवशेष धनराशि रू0 884.24 लाख के विरुद्ध चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में चतुर्थ किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख (रुपये दो करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

1. परियोजना की स्वीकृति के सम्बन्ध में मूल शासनादेश संख्या-19/XLII-1/2017-02(31)2012 दिनांक 04.01.2017 में उल्लिखित शर्तें यथावत् रहेंगी।
2. कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय, जितनी धनराशि कार्ययोजना पर स्वीकृत की गयी है। स्वीकृत धनराशि से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।
3. कार्ययोजना हेतु निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व नियमानुसार समस्त सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य कराने के उपरान्त तथा विशिष्टियों के अनुरूप सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।
4. कार्ययोजना में स्वीकृत विस्तृत आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं /मानकों हेतु सम्बन्धित कार्यदायी संस्था एवं सचिव, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
5. कार्ययोजना के कार्य के प्रति पूर्ण भुगतान करने से पूर्व किसी तृतीय पक्ष से इसकी गुणवत्ता जाँच कर कार्य, उक्त स्वीकृत लागत से कराये जाने के बाद कार्य स्वीकृत आगणन के अनुसार होने की पुष्टि के उपरान्त ही नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।
6. कार्ययोजना स्वीकृत आगणन के प्राविधानों एवं तकनीकी स्वीकृति के आगणन के प्राविधानों में परिवर्तन (केवल अपरिहार्य स्थिति की दशा में ही) करने से पूर्व सक्षम प्राधिकारी की सहमति अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय।



7. कार्ययोजना हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि का प्राथमिकता के आधार पर उपयोग ससमय अवश्य कर लिया जाय।
8. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या-2047/XIV-219 (2006) दिनांक 30.05.2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कड़ाई से पालन किया जाय।
9. कार्य करते समय उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 के सुसंगत प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उपरोक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 के अनुदान संख्या-11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-01-सामान्य शिक्षा-205-भाषा विकास-05-उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हेतु अनावसीय भवन निर्माण-24-वृहद् निर्माण कार्य मद के नामे डाला जायेगा।

3- इस शासनादेश के संलग्नक को कम्प्यूटर आई0डी0 से जनरेट किया गया है, जिसकी आई0डी0 संख्या-H19060110221 दिनांक 25.06.2019 है।

4- यह आदेश वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-254/03(150)-2017/XXVII(1)/2019 दिनांक 29.03.2019 में निहित प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक-कम्प्यूटर जनरेटेड आई0डी0।

भवदीय,

(इन्दुधर बौड़ाई)
सचिव (प्रभारी)।

संख्या- 446 (1)/XLII-1/2019-02(31)2012 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, महालेखाकार भवन, कौलागढ़, देहरादून।
2. निदेशक, संस्कृत शिक्षा, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, हरिद्वार।
4. मुख्य शिक्षा अधिकारी, हरिद्वार।
5. कोषाध्यक्ष, उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी, हरिद्वार।
6. परियोजना प्रबन्धक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, हरिद्वार रोड़, ऋषिकेश।
7. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(वीरेन्द्र पाल सिंह)
संयुक्त सचिव।

आवंटन पत्र संख्या -02(31)2012

आवंटन आई डी-H19060110221

अनुदान संख्या-011

आवंटन पत्र दिनांक-25-JUN-2019

लेखा शीर्षक

4202-शिक्षा खेलकूद तथा संस्कृति
पर पूंजीगत परिव्यय

01-General Education

205-भाषा विकास

05-उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी हेतु
अनावासीय भवन निर्माण


00-उत्तराखण्ड संस्कृत अकादमी
हेतु आवासीय भवन निर्माण

Voted

4	2	0	2	0	1	2	0	5	0	5	0	0
मानक मद का नाम		पूर्व में जारी	वर्तमान में जारी	अब तक का व्यय	योग							
24-वृहत् निर्माण कार्य		0	20000000	0	20000000							
योग		0	20000000	0	20000000							

Total Current Allotment To DDO In Above Schemes-Rs.2,00,00,000 (Rupees Two Crores Only)

Approval Status : APPROVED BY OFFICER


 (बीरेन्द्र पाल सिंह)
 संयुक्त सचिव
 संस्कृत शिक्षा विभाग
 उत्तराखण्ड शासन ।